

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८ डी०(पुनर्विनियोग- 2251)-02-10/2026-

३३८

प्रेषक,
सरकार के सचिव।
सेवा में,

अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक- १५.०३.२०१६

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अंतर्गत मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में कुल ₹2.00 लाख(दो लाख रू०) मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 337 दिनांक-25.03.2026 के द्वारा "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विपत्र कोड- 44-2251000900023 के तहत 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में ₹2.00 लाख(दो लाख रू०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपबंध किया गया है।

2-उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यालय के लिये 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में ₹2.00 लाख(दो लाख रू०) मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित किया जाता है।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4-आवंटित राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय (मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग-0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई विपत्र कोड- 44-2251000900023 में विकलनीय होगा।

5- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

6- आवंटित राशि का प्रत्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.26 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- स०स०-८ डी०(पुनर्विनियोग- 2251)-02-10/2026- 338 पटना, दिनांक १५.०३.२०१६
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना /अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, सचिव कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा० 2जी०/6जी०/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।